ग्राम पंचायत धर्मपुर विकास खण्ड ठियोग जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 1/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत धर्मपुर , विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति वनीता वर्मा	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री ओम प्रकाश	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सत्य प्रकाश	01.04.2013 से 13.05.2014
2	श्री कुन्दन लाल शर्मा	13.05.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत धर्मपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्त शेष मे अंतर पाया जाना	2.24
2	7	प्राप्त आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय किया जाना	0.06
3	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.23
4	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न करना	18.69
5	12	ग्राम स्वास्थ्य समिति, धर्मपुर को "Total Health Campaign" हेतु किया गया अनियमित भुगतान	0.10

6	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	10.59
7	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	13.14
8	15	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना	1.31

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा धर्मपुर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	4/2013
2014-15	7/2014	7/2014
2015-16	5/2015	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-206/2016 दिनांक 24.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, धर्मपुर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत धर्मपुर, द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा तदानुसार ही इन्हें बैंक खातों में जमा करवाया गया है। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत धर्मपुर की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत धर्मपुर , द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹223574 का अन्तर पाया गया। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या-204-205/2016 दिनांक 22.08.2016 के माध्यम से सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर को अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर की राशि को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। इस बारे में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है , जिस का बैंक समाधान विवरणी तैयार कर के समाधान किया जायेगा। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष मे अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- **दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मलित किया गया है।)**	**2359765.00**
Detail of Bank Balances	
Cash in Hand	**369.00**
Account No. 04 of HPSC Bank	**2582970.00**
Total	**2583339.00**
Difference	**223574.00**

6 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में गलत गणना व आय को लेखांकित नहीं किए जाने के कारण ₹420 के दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

अंकेक्षण में आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया की रोकड़ बही में गलत गणना किए जाने के कारण ₹420 की आय को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप बिना किसी उचित कारण के वर्तमान समय तक ₹420 की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: **₹420** को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किए जाने और संबन्धित बैंक खाते में जमा न करवाए जाने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए, साथ ही संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

Date	Cash Book Page No.	Closing Balance as per Cash Book (As per Audit)	Closing Balance as shown in Cash Book	Difference
31.03.2014	**15**	**30508/-**	**30008/-**	**410/-**
25.01.2014	**7**	**33269/-**	**33259/-**	**10/-**
			Total	**420/-**

7 प्राप्त आय की ₹ 0.06 लाख को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय करना

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरान्त विभिन्न व्ययों हेतु उस बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹**5691** की आय , विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी। इस प्राप्त राशि में से ₹**5691** को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्ययों हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न दिया गया है। इस प्रकार आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाए, उसके उपरांत ही राशि भुगतान हेतु प्रयोग में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

Type of Receipt	Date	Amount	Type of Expenditure	Cash Book P. No.	Date	Amount of Expenditure
विभिन्न प्राप्तियाँ	**27.04.2013**	**902**	**Expenditure related to Stationery**	**1**	**27.04.2013**	**902**
	25.01.2014	**650**	**Expenditure related to Rashan Card**	**7**	**25.01.2014**	**650**
	01.03.2014	**4139**	**Expenditure related to Office Expenditure**	**11**	**01.03.2014**	**4139**
Total		**5691**				**5691**

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित , बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन मात्र केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.23 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹0.23 लाख की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹18.69 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को कुल **₹1869979** उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में से **₹1486** MG NREGA जबकि शेष **₹1868493** स्व: स्रोत्रों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-5** पर दिया गया है। अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 अनियमित व्यय

वाऊचर संख्या -1, दिनांक 26.04.2013, ₹10000

उपरोक्त व्यय वाऊचर के माध्यम से ₹10000 का भुगतान ग्राम स्वास्थ्य समिति धर्मपुर को ‘“Total Health Campaign” हेतु किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि इस भुगतान के बदले में उपरोक्त वर्णित समिति के प्रधान/सचिव से भुगतान प्राप्ति की कोई रसीद/पावती अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस भुगतान के एवज में समिति से वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती उपलब्ध न होने के कारण इस भुगतान की सत्यता की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी , साथ ही वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है , जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अत: भुगतान के बदले भुगतान की प्राप्ति की रसीद/पावती प्राप्त न करने एवं वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹10.59 लाख का अनियमित व्यय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50,000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹**1059490** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹13.14 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-7 तथा 8** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹**1314719** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के

अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 क्रय किए गए ₹1.32 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a, b, c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹**131629** की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **परिशिष्ट-9** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 चौकीदार , सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाया जाना

अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान चौकीदार , सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की जाँच करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था, परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था, उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नही बनाया गया था, जिसके कारण इन सभी कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 मानदेय के रूप में ₹1400 का अधिक भुगतान करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित , बजट , लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (MinutesMinutes RegisterRegister) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को बिना उपस्थिति के ही मानदेय की ₹1400 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: सभा

में उपस्थिति के बिना निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Member	Date of Meeting for which the payment of Honorarium has been paid	Amount Due	Amount paid	Rate of Honorarium per meeting per member	Excess Payment	Remarks
Sh. Jai Parkash	08/2014	Nil	400/-	200/-	400/-	As per Minutes Book of Gram Panchayat Member was not present at the Meeting
Sh. Ravinder	10/2014	200/-	400/-	200/-	200/-	
Sh. Jai Parakash	10/2014	200/-	400/-	200/-	200/-	As per Minutes Book of Gram Panchayat only one Meeting was held in the month 10/2014
Smt. Vidya	10/2014	200/-	400/-	200/-	200/-	
Smt. Ritu	10/2014	200/-	400/-	200/-	200/-	
Smt. Sunita	10/2014	200/-	400/-	200/-	200/-	
				Total	1400/-	

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
2	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
3	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
4	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित , बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि.प्र. पंचायती राज (वित , बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्रोत्र से प्राप्त आय और अनुदानों की राशि को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड -B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय- व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था , जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड -B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	**इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गयाथा।**
Cash Book for MG NREGA	**इस रोकड़बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।**

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित , बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि.प्र. पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय-व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत धर्मपुर द्वारा आय के संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी करने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 लघु आपति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 निष्कर्ष:- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 23/2016–खण्ड–1–277–280 दिनाँकः 19.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ठियोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.